



AT 409979



राजस्थान राज्य अधिनियम 1998 के अन्तर्गत जारी किया गया न्यायिक दस्तावेज

बंकापूर अदालत, आबू

न्यायालय सहायक फैलक्टर, आबूपर्वत

फाईनल डिक्री

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री वजाराम पुत्र राजाराम ग्रासीया, निवासी मातादेवी खडात तहसील आबूरोड		1. श्री मुकेश पुत्र रमेश 2. श्री श्रवण पुत्र रमेश 3. श्रीमती मगदु पत्नी रमेश 4. श्रीमती हीरी पत्नी रमेश 5. श्री छोगा पुत्र देवाराम 6. श्री काला पुत्र देवाराम 7. श्री शंकर पुत्र देवाराम 8. श्रीमती कैरी पत्नी देवाराम जातियान ग्रासीया निवासियान मोरडू तहसील आबूरोड 9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 10/2019

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-10-2019 के अनुक्रम में तहसीलदार आबूरोड से जरिये पत्रांक/राजस्व/2019/1352 दिनांक 19-12-2019 से प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव अनुसार मौजा मोरडू पटवार हल्का आमथला, तहसील आबूरोड स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 472 कुल किता-1 कुल रकबा 2.15 बीघा का विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

न्यायालय सहायक फैलक्टर
आबू-पर्वत

~~.....~~

पुस्तक क्रमांक 14613 2012/15

पुस्तक क्रमांक का नाम

पता 100 H 0557

परिवहन-

(इसमें की पेशा में इसी का नाम पढ़ा)

..... के अक्षर

..... के अक्षर

पत्राकाम

.....
.....
.....

(2)

क्र सं	ग्राम	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	किस्म	लगान
1	मोरडू	मुकेश श्रवण पि. रमेश मगदू धर्म पत्नी रमेश हीरी धर्मपत्नी रमेश 28/35 छोगा डाला शंकर पि. देवाराम केरी धर्मपत्नी देवाराम हि. 7/35 जाति ग्रासीया सा.देह खातेदार	472/1	1.15	ब-2	2.10
		कुल किता-1	1.15	ब-2	2.10	
2	मोरडू	वजाराम पुत्र राजाराम जाति ग्रासीया निवासी मातादेवी खडात तहसील आबूरोड खातेदार	472/2	1.00	ब-2	1.20
		कुल किता-1	1.00	ब-2	1.20	

तहसीलदार आबूरोड को उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश दिए जाते हैं। अतः रेकॉर्ड में इन्द्राज कर मौके पर पक्षकारान को रकबा नाप कर बंटवाड अनुसार कब्जा सुपुर्द करेंगे।

अन्तिम डिक्री स्टाम्प रूपए 100/- आज दिनांक 24-12-2019 को जारी की जाती है।

दिनांक 24-12-2019

प्रतिलिपि:-तहसीलदार आबूरोड को पालनार्थ।



सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत
आबू-पर्वत

सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत
आबू-पर्वत

